

28.1.19

उक्त पत्र उप-1 वाड-पत्र में शहीदाका पेश हो
सुझाई, प्रतिगरी ज. पत्र 4 व 5 की तलवी दिना
बुझित उक्त उक्त वाड भी पानी ही वदस कंसि
बुनी गई, पत्रवनी गान्त आदेश दिनांक 4.2.19
को पेश हो।

4.2.19

पत्रवनी पेश हुई। वादीगण का वाड-पत्र सुनायिक
शहीदाका डि.की किता पाता है, विस्तृत निर्णय
अतः स सिद्धाका वाक सुनाका उक्त शहीदा ईहा
शहीदाका निर्णय व डि.की का पुन गेया। कर्त
डि.की पायी हो पत्रवनी के लला सुना होका
कारिबल दपतर भी पायी

आदेश सुनाका गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

27.3.19

वादी कलिकाचक द्वारा ज. पत्र 151, 152 CAP के
होके पत्र पत्रवनी पेशी में ही गई उक्त ज. पत्र द्वारा
निर्णय व डि.की में लेगोवन-पाया ही ज. पत्र भी
गकल प्रतिगरी कलिकाचक को ही गई। प्रतिगरी
पत्रवनी ज. पत्र को No-objection किता अम्ति को
आपदिता रही है। ज. पत्र लवीका किता पाता ही
सुनायिक ज. पत्र लाव लनी ही के लेगोवन किता
पायी

Handwritten signature

न्या

पीठासीन अधिक
मुकदमा नम्बर :
वाद अन्तर्गत ध
अनवान मुकदम
1-भजन सिंह
2-सिकन्दर सि
हनुमानगढ़

1-गोपाल सिंह
2-फौजासिह पु
3-गुरमेल सिंह
4-राजस्थान स
5-एस बी आई

उपस्थिति :- 1
2

संक्षेप मे
मे प्रस्तुत कर
संयुक्त खाता व
किला नम्बर 1
170/157 प0
नम्बर 25 प0नं
कुल खाता 2.5
17 एस टी ज
प0नं 74/29
कागजात है।

2
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :- श्री सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर ए एस

मुकदमा नम्बर :- 06/2019

वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 आर टी ए

अनवान मुकदमा :-

- 1-भजन सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह जाति रायसिख निवासी डबली बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ
- 2-सिकन्दर सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह जाति रायसिख निवासी डबली बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ

—वादीगण

बनाम

- 1-गोपाल सिंह पुत्र श्री ठाकर सिंह जाति रायसिख निवासी डबली बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ
- 2-फौजासिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह जाति रायसिख निवासी डबली बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ
- 3-गुरमेल सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह जाति रायसिख निवासी डबली बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ
- 4-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ
- 5-एस बी आई बैंक शाखा डबली राठान जरिये शाखा प्रबन्धक

—प्रतिवादीगण

उपस्थिति :- 1-श्री रामकुमार बिश्नोई एडवोकेट—वादी की ओर से

2-श्री अमरीक सिंह एडवोकेट —प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से

निर्णय

दिनांक 4-2-2019

संक्षेप मे वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद धारा 88 व 53 आर टी ए न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से एकल व संयुक्त खाता की कृषि भूमि वाके चक नं0 2 डी बी एल खाता संख्या 22/17 प0नं0 69/280 मुरबा नं0 7 किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 10 कुल 2.024 है0 व चक नम्बर 8 एस टी जी बी के संयुक्त खाता संख्या 170/157 प0 नं0 76/279 मुरबा नं0 68 किला नम्बर 21 से 24, प0नं0 75/279 मुरबा नं0 69 किला नम्बर 25 प0नं0 75/280 मुरबा नं0 81 किला नम्बर 5 प0नं0 76/280 मुरबा नं0 82 किला नम्बर 1 से 4 कुल खाता 2.530 है0 मे से 1.265 है0 व प्रतिवादी संख्या 1 व उनकी स्वर्गवासी पत्नी के नाम से चक नं0 17 एस टी जी खाता संख्या 56/53 प0नं0 74/294 मुरबा नं0 53 किला नम्बर 6, 7, 13,14, 17, 18 प0नं0 74/295 मुरबा नं0 28 किला नम्बर 5 कुल 1.771 है0 मे से 0.759 है0 कृषि भूमि खातेदारी दर्ज कागजात है। जमाबंदी सलंग्न है। वादीगण के दादा गोपाल सिंह प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त वर्णित भूमि विरासतन प्राप्त हुई है तथा उक्त वर्णित भूमि हिन्दु संयुक्त परिवार की है। वादीगण के पिता सोहन सिंह का स्वर्गवास हो चुका है। गोपाल सिंह की भूमि मे हम वादीगण का हक व हिस्सा जन्म से ही है। वादीगण

62

व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का संयुक्त हिन्दु परिवार था तथा उक्त वर्णित भूमि हिन्दु संयुक्त परिवार की है तथा अब हिन्दु संयुक्त परिवार विभाजित हो चुका है एवं अरसा पूर्व वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के मध्य घरु विभाजन किया हुआ है तथा मुताबिक घरु बंटवारा ही वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का कब्जा काश्त है व काश्त करते आ रहे है। मुताबिक घरु बंटवारा वादी संख्या 1 भजन सिंह को चक नं० 2 डी बी एल खाता संख्या 22/17 प० नं० 69/280 मुरबा नं० 7 किला नम्बर 3/.127, 4/.253 तादादी .380 है०, चक नं० 17 एस टी जी खाता संख्या 56/53 प० नं० 74/274 मुरबा नं० 23 किला नम्बर 13/.253 तादादी .253 है० चक नं० 8 एस टी जी बी खाता संख्या 170/157 प० नं० 76/280 मुरबा नं० 82 किला नम्बर 4/.089 है० तादादी .089 है० कुल तादादी 0.722 है०, वादी संख्या 2 सिकंदर सिंह को चक नं० 2 डी बी एल खाता संख्या 22/17 प० नं० 69/280 मुरबा नं० 7 किला नम्बर 8/.126, 9/.253 तादादी 0.379 है० चक नं० 8 एस टी जी बी खाता संख्या 170/157 प० नं० 76/280 मुरबा नं० 82 किला नम्बर 1/.253, 3/.089 तादादी .342 है० कुल तादादी 0.721 है०, प्रतिवादी संख्या 1 गोपाल सिंह को चक नं० 17 एस टी जी खाता संख्या 56/53 प० नं० 76/280 मुरबा नं० 82 किला नम्बर 15/.253 कुल तादादी 0.253 है०, प्रतिवादी संख्या 2 फौजा सिंह को चक नम्बर 8 एस टी जी बी खाता संख्या 170/157 प० नं० 75/280 मुरबा नं० 81 किला नम्बर 5/.253 प० नं० 76/280 मुरबा नं० 82 किला नम्बर 4/.164 है० तादादी 0.417 है० चक नं० 2 डी बी एल खाता संख्या 22/17 प० नं० 69/280 मुरबा नं० 7 किला नम्बर 1, 10 तादादी 0.506 है० कुल तादादी 0.923 है०, प्रतिवादी संख्या 3 गुरमेल सिंह को चक नं० 8 एस टी जी बी खाता संख्या 170/157 प० नं० 76/280 मुरबा नं० 82 किला नम्बर 2/.253, 3/.164 तादादी 0.417 है० चक नं० 2 डी बी एल खाता संख्या 22/17 प० नं० 69/280 मुरबा नं० 7 किला नम्बर 2/.253, 3/.16, 7/.253, 8/.127 तादादी 0.759 है० चक नं० 17 एस टी जी खाता संख्या 56/53 प० नं० 74/294 मुरबा नं० 23 किला नम्बर 18/.253 तादादी 0.253 है० कुल तादादी 1.429 है० प्राप्त हुई है। प्रश्नगत कृषि भूमि अभी तक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम होने से वादी के हकों पर विपरीत प्रभाव पडता है तथा भूमि वादी के नाम नही होने से वादी बैंक लोन व अन्य सरकारी योजनाओ का लाभ लेने से वंचित हो रहा है, इत्यादि कथन करते हुए वादी सं० 1 भजन सिंह को चक नं० 2 डी बी एल खाता संख्या 22/17 मे 0.380 है०, चक नं० 17 एस टी जी खाता संख्या 56/53 मे .253 है० चक नं० 8 एस टी जी बी खाता संख्या 170/157 मे .089 है० कुल तादादी 0.722 है०, वादी संख्या 2 सिकंदर सिंह चक नं० 2 डी बी एल खाता संख्या 22/17 मे 0.379 है० चक नं० 8 एस टी जी बी खाता संख्या 170/157 मे .342 है० कुल तादादी 0.721 है० का खातेदार काश्तकार घोषित करने व खाता विभाजन करने का निवेदन किया। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया । तलबी नोटिस जारी हुऐ। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3



ने दिनांक 10-1-2019 को हाजिर अदालत आकर राजीनामा प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामा प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया तथा मुताबिक बंटवारा वादी संख्या 1 भजन सिंह को चक नं 2 डी बी एल खाता संख्या 22/17 प 0 नं 69/280 मुरबा नं 7 किला नम्बर 3/.127, 4/.253 तादादी .380 है, चक नं 17 एस टी जी खाता संख्या 56/53 प 0 नं 74/274 मुरबा नं 23 किला नम्बर 13/.253 तादादी .253 है चक नं 8 एस टी जी बी खाता संख्या 170/157 प 0 नं 76/280 मुरबा नं 82 किला नम्बर 4/.089 है तादादी .089 है कुल तादादी 0.722 है, वादी संख्या 2 सिकंदर सिंह को चक नं 2 डी बी एल खाता संख्या 22/17 प 0 नं 69/280 मुरबा नं 7 किला नम्बर 8/.126, 9/.253 तादादी 0.379 है चक नं 8 एस टी जी बी खाता संख्या 170/157 प 0 नं 76/280 मुरबा नं 82 किला नम्बर 1/.253, 3/.089 तादादी .342 है कुल तादादी 0.721 है, प्रतिवादी संख्या 1 गोपाल सिंह को चक नं 17 एस टी जी खाता संख्या 56/53 प 0 नं 76/280 मुरबा नं 82 किला नम्बर 15/.253 कुल तादादी 0.253 है, प्रतिवादी संख्या 2 फौजा सिंह को चक नम्बर 8 एस टी जी बी खाता संख्या 170/157 प 0 नं 75/280 मुरबा नं 81 किला नम्बर 5/.253 प 0 नं 76/280 मुरबा नं 82 किला नम्बर 4/.164 है तादादी 0.417 है चक नं 2 डी बी एल खाता संख्या 22/17 प 0 नं 69/280 मुरबा नं 7 किला नम्बर 1, 10 तादादी 0.506 है कुल तादादी 0.923 है, प्रतिवादी संख्या 3 गुरमेल सिंह को चक नं 8 एस टी जी बी खाता संख्या 170/157 प 0 नं 76/280 मुरबा नं 82 किला नम्बर 2/.253, 3/.164 तादादी 0.417 है चक नं 2 डी बी एल खाता संख्या 22/17 प 0 नं 69/280 मुरबा नं 7 किला नम्बर 2/.253, 3/.16, 7/.253, 8/.127 तादादी 0.759 है चक नं 17 एस टी जी खाता संख्या 56/53 प 0 नं 74/294 मुरबा नं 23 किला नम्बर 18/.253 तादादी 0.253 है कुल तादादी 1.429 है पर काबिज होना बताया। राजीनामा तस्दीक किया गया।

वकुलाए वादीगण व प्रतिवादीगण की बहस सुनी। बहस के तथ्यो व राजीनामा पर मनन किया। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आने पर व प्रश्नगत आराजी जद्दी जायदाद होने से वादीगण का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण को निम्नानुसार कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व अभिलेख मे इनके नाम से अलग अलग खाता कायम कर रकम राज अलग कायम की जावे। वादी संख्या 1 भजन सिंह को चक नं 2 डी बी एल खाता संख्या 22/17 प 0 नं 69/280 मुरबा नं 7 किला नम्बर 3/.127, 4/.253 तादादी .380 है, चक नं 17 एस टी जी खाता संख्या 56/53 प 0 नं

(6)

74/294

74/274 मुरबा नं० 23 किला नम्बर 13/.253 तादादी .253 है० चक नं० 8 एस टी जी बी खाता संख्या 170/157 प०नं० 76/280 मुरबा नं० 82 किला नम्बर 4/.089 है० तादादी .089 है० कुल तादादी 0.722 है०, वादी संख्या 2 सिकंदर सिंह को चक नं० 2 डी बी एल खाता संख्या 22/17 प०नं० 69/280 मुरबा नं० 7 किला नम्बर 8/.126, 9/.253 तादादी 0.379 है० चक नं० 8 एस टी जी बी खाता संख्या 170/157 प०नं० 76/280 मुरबा नं० 82 किला नम्बर 1/.253, 3/.089 तादादी .342 है० कुल तादादी 0.721 है०, प्रतिवादी संख्या 1 गोपाल सिंह को चक नं० 17 एस टी जी खाता संख्या 56/53 प०नं० 76/280 मुरबा नं० 82 किला नम्बर 15/.253 कुल तादादी 0.253 है०, प्रतिवादी संख्या 2 फौजा सिंह को चक नम्बर 8 एस टी जी बी खाता संख्या 170/157 प०नं० 75/280 मुरबा नं० 81 किला नम्बर 5/.253 प० नं० 76/280 मुरबा नं० 82 किला नम्बर 4/.164 है० तादादी 0.417 है० चक नं० 2 डी बी एल खाता संख्या 22/17 प०नं० 69/280 मुरबा नं० 7 किला नम्बर 1, 10 तादादी 0.506 है० कुल तादादी 0.923 है०, प्रतिवादी संख्या 3 गुरमेल सिंह को चक नं० 8 एस टी जी बी खाता संख्या 170/157 प०नं० 76/280 मुरबा नं० 82 किला नम्बर 2/.253, 3/.164 तादादी 0.417 है० चक नं० 2 डी बी एल खाता संख्या 22/17 प०नं० 69/280 मुरबा नं० 7 किला नम्बर 2/.253, 3/.16, 7/.253, 8/.127 तादादी 0.759 है० चक नं० 17 एस टी जी खाता संख्या 56/53 प०नं० 74/294 मुरबा नं० 23 किला नम्बर 18/.253 तादादी 0.253 है० कुल तादादी 1.429 है०।

राजीनामा निर्णय व डिक्री का जुज रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 4-2-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपरोक्त अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
सहायक उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर ए एस

अनवान मुकदमा :-

- 1-भजन सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह जाति रायसिख निवासी डबली बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़
2-सिकन्दर सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह जाति रायसिख निवासी डबली बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़
—वादीगण

बनाम

- 1-गोपाल सिंह पुत्र श्री ठाकर सिंह जाति रायसिख निवासी डबली बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़
2-फौजासिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह जाति रायसिख निवासी डबली बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़
3-गुरमेल सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह जाति रायसिख निवासी डबली बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़
4-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़
5-एस बी आई बैंक शाखा डबली राठान जरिये शाखा प्रबन्धक
—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा व खाता तकसीम

मुकदमा नम्बर :- 06/2019

निर्णय दिनाक :- 4-2-2019

वादी की ओर से श्री रामकुमार बिश्नोई एडवोकेट की व प्रतिवादी की ओर से श्री अमरीक सिंह एडवोकेट की उपस्थिति में मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री की जाती है कि :-

1-मुताबिक राजीनामा/ बंटवारा वादी संख्या 1 भजन सिंह को चक नं 2 डी बी एल खाता संख्या 22/17 प 0 नं 69/280 मुरबा नं 7 किला नम्बर 3/.127, 4/.253 तादादी .380 है, चक नं 17 एस टी जी खाता संख्या 56/53 प 0 नं 74/274 मुरबा नं 23 किला नम्बर 13/.253 तादादी .253 है, चक नं 8 एस टी जी बी खाता संख्या 170/157 प 0 नं 76/280 मुरबा नं 82 किला नम्बर 4/.089 है, तादादी .089 है, कुल तादादी 0.722 है, वादी संख्या 2 सिकंदर सिंह को चक नं 2 डी बी एल खाता संख्या 22/17 प 0 नं 69/280 मुरबा नं 7 किला नम्बर 8/.126, 9/.253 तादादी 0.379 है, चक नं 8 एस टी जी बी खाता संख्या 170/157 प 0 नं 76/280 मुरबा नं 82 किला नम्बर 1/.253, 3/.089 तादादी .342 है, कुल तादादी 0.721 है, प्रतिवादी संख्या 1 गोपाल सिंह को चक नं 17 एस टी जी खाता संख्या 56/53 प 0 नं 76/280 मुरबा नं 82 किला नम्बर 15/.253 कुल तादादी 0.253 है, प्रतिवादी संख्या 2 फौजा सिंह को चक नम्बर 8 एस टी जी बी खाता संख्या 170/157 प 0 नं 75/280 मुरबा नं 81 किला नम्बर 5/.253 प 0 नं 76/280 मुरबा नं 82 किला नम्बर 4/.164 है, तादादी 0.417 है, चक नं 2 डी बी एल खाता संख्या 22/17 प 0 नं 69/280 मुरबा नं 7 किला नम्बर 1, 10 तादादी 0.506 है, कुल तादादी 0.923 है, प्रतिवादी संख्या 3 गुरमेल सिंह को चक नं 8 एस टी जी बी खाता संख्या 170/157 प 0 नं 76/280 मुरबा नं 82 किला नम्बर 2/.253, 3/.164 तादादी 0.417 है, चक नं 2 डी बी एल खाता संख्या 22/17 प 0 नं 69/280 मुरबा नं 7 किला नम्बर 2/.253, 3/.16, 7/.253, 8/.127 तादादी 0.759 है, चक नं 17 एस टी जी खाता संख्या 56/53 प 0 नं 74/294 मुरबा नं 23 किला नम्बर 18/.253 तादादी 0.253 है, कुल तादादी 1.429 है, का खातेदार काशतकार घोषित किया गया है। उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में खाता अलग से कायम किया जाकर रकम राज अलग अलग कायम की जावे। बैंक ऋण मुक्त होने पर राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार खाता विभाजन दर्ज फरमाया जावे।

यह आज तारीख 4-2-2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रां लगाकर दी

सहायक कलक्टर एवं
सहायक उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़